



पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
(संसद के अधिनियम द्वारा निर्मित सांविधिक प्राधिकरण)
Protection of Plant Varieties & Farmers' Rights Authority
(A Statutory Authority Created by an Act of Parliament)
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India
एन ए एस सी काम्प्लेक्स, डी पी एस मार्ग, निकट टोडापुर गांव, नई दिल्ली-110012
NASC Complex, DPS Marg, Opp. Todapur Village, New Delhi 110012
Tel: 011 - 25843388, Fax: 011-25840478, E-mail:- la-ppvfra@nic.in

फ.सं. पीपीवीएंडएफआरए/विधि/02/2019

दिनांक: 11.01.2022

सार्वजनिक सूचना

(2022 का 01)

विषय:- आरईजी नंबर के आवंटन के बाद पंजीकरण के निर्देशों के अनुपालन के लिए समय सीमा का विस्तार- पीपीवी और एफआर अधिनियम , 2001 के तहत प्रदान की जाने वाली विभिन्न वैधानिक कार्यवाही के लिए समय सीमा का विस्तार बीज/रोपण सामग्री जमा करने , पंजीकरण/ डीयूएस परीक्षण शुल्क , वार्षिक शुल्क/नवीकरण शुल्क/वार्षिक रिटर्न फॉर्म जमा करना, उन मौजूदा किस्मों के पंजीकरण के लिए आवेदन जमा करना जिनकी समय सीमा 2021 की सार्वजनिक सूचना 16/नई किस्मों जिनकी नवीनता अवधि 3 जनवरी, 2022 तक समाप्त हो गई है सार्वजनिक सूचना 2021 का 17 के आधार पर 03.10.2022 तक समाप्त हो रहा है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 10 जनवरी , 2022 के आदेश के अनुसार 2020 का संख्या 3 का सोड मोट्ट रिट याचिका (सी) और सार्वजनिक सूचना 2021 का 16 और 17 की निरंतरता में।

1. निम्नलिखित मामलों के लिए समय सीमा दिनांक 29.05.2022 तक बढ़ाई गई:-

- क) पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 और पीपीवी और एफआर नियम, 2003 के तहत प्रदान की जाने वाली विभिन्न वैधानिक कार्यवाहियों की समय सीमा।
- ख) आरईजी नंबर के आवंटन के बाद रजिस्ट्रार के निर्देशों के अनुपालन के लिए समय सीमा।

2. निम्नलिखित मामलों के लिए समय सीमा नहीं बढ़ाई गई है:-

- क) बीज/रोपण सामग्री की प्रस्तुति।
- ख) पंजीकरण/डीयूएस परीक्षण शुल्क जमा करना।
- ग) वार्षिक शुल्क/नवीनीकरण शुल्क/वार्षिक रिटर्न फॉर्म दाखिल करना।
- घ) सार्वजनिक सूचना 2021 का 16 के आधार पर उन मौजूदा किस्मों के पंजीकरण के लिए आवेदन जमा करना जिनकी समय सीमा दिनांक 3 जनवरी, 2022 तक समाप्त हो गई है

ड) सार्वजनिक सूचना 2021 का 17 के आधार पर नई किस्में जिनकी नवीनता अवधि दिनांक 03.10.2022 तक समाप्त हो रही है।

सार्वजनिक सूचना 2021 का 16 और 17 को तदनुसार संशोधित किया गया है,

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

-हस्ताक्षरित-
(टी. के. नागरत्ना)
पंजीकार